Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

लिंग-भेदभाव एवं ग्रामीण बालिकाओं का पालन पोषण

Nanhi Kumari*

Research Scholar, Department of Home Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

सार – *यदि हम विधिवत रूप से नारी सशक्तिकरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अपना अध्ययन जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को अपने आधीन करने वाली जटिल संरचना से करना होगा और यह जटिल संरचना 'पुरूषवाद' या 'पितृसत्ता' है। यह परम्परागत संरचना विश्व के लगभग सभी देषों में किसी न किसी रूप में चली आ रही है। पुरूषवाद या पितृ सत्ता जिसके जरिये अब संस्थाओं के एक खास समूहों को पहचाना जाता है जिन्हे सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरूषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है*[1] *इसी को लिंगभेद कहते है। यह एक विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या है जो समाज का एक कुरूप चेहरा सामने लाती है। लिंगभेद महिलाओं के सामाजिक न्याय एवं समानता के मार्ग में बाधक है।*[2] *पुरूष सामान्यतः स्त्रियों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं। पितृ सत्ता की मान्यता है कि, पुरूष का अधिकार और कार्य है "आदेश देना" तथा स्त्री का कर्तव्य है 'उस आदेश का पालन करना। पितृ सत्ता की एक मान्यता है, कि स्त्री का कार्यक्षेत्र घर परिवार, बच्चे पैदा करना उनका लालन-पालन करना और पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करना है बाकी सभी क्षेत्र पुरूषों के लिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता केवल पुरूषों में है। पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों का सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और महिलाऐं इनसे वंचित रहती है। पुरूष प्रधान सोच इस बात पर आधारित है कि पुरूष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है।*[3]

----------X----------

प्रस्तावना

विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। फिर भी परिवार और समाज में उन्हें आज तक स्थान नहीं मिल सका जिसकी वह वास्तविक हकदार हैं। आज भी बराबरी के इंतजार में है। आधी आबादी वह केवल घर परिवार भी जिम्मदारी निभाने वाली मां, बहन, की भूमिका में ही देखी जाती है। केवल आदर्श रूप में ही में ही उसकी कल्पना है उसे किसी भी भूमिका में देखना बहुत बडी चुनौती है उसके विकास के अवसर अभी बहुत दूर है। लिंग भेदभाव हर क्षेत्र में दिखता है। लिंग का संबंध उन भूमिकाओं या कार्यों से है जो समाज में स्त्रियों और पुरूषों को अलग अलग बांटती है। जहाँ तक महिला छवि या लिंग चुनौतियों में मास मीडिया की भूमिका या मास मीडिया के प्रभावों का प्रश्न है तो इसे इन उन समस्याओं के समाधान के परिदृष्य में देखे जाने की जरूरत है जो महिलाओं के विकास समाधान के परिदृष्य में देखे जाने की जरूरत है जो महिलाओं के विकास और प्रगति के मार्ग में लिंग भेद शारीरिक व यौनिक हिंसा, बलात्कार, दहेज- हत्या, छेड़ छाड़ जैसे अनेकानेक असामाजिक कृत्य और मानसिकता के रूप में सुरक्षा की भांति मुँह फाड़े खड़ी है, मीडिया की भूमिका महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक लक्ष्य और साधन दोनों के रूपों में है। महिलाओं को प्राप्त विशेष अधिकारों में प्रजनन अधिकार एवं स्वास्थ से संबंधित अधिकार भी शामिल है, जो प्रमुख रूप से निम्नांकित है-

- विवाह करने या नहीं करने का अधिकार
- सुरक्षित गर्भधारणा व प्रसव का अधिकार
- स्वास्थ की यौन संबंध स्थापित करने का हक
- परिवार के नियोजन और निर्माण का अधिकार (अर्थात बच्चा पैदा करने, कब करने, या नहीं करने का अधिकार)

इस के अध्ययन के पश्चात् आप जानेगें

1. लिंग समानता के संवैधानिक प्रावधान समझ सकेंगे।
2. लिंग समानता का अर्थ जान सकेंगें।

देश की आधी आबादी के संदर्भ में यह कटू सत्य है कि सामाजिक,ष्षैक्षणिक मनोवैज्ञानिक यर्थाथता के आधार पर स्त्री पुरूषों में सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में लैगिंक असमानता विदयमान है। स्त्री पुरूषों में व्याप्त ये असमानताएं इनकी समाज में प्रस्थिति और भूमिकाओं के आधार पर स्पष्ट

www.ignited.in

रूप से देखी जा सकती है। प्रस्थिति को महत्वपूर्ण सूचकों यथा काम में सहभागिता, स्वास्थ सुविधायें प्राप्त करने के स्तर, साक्षरता दर, सम्पत्ति में हिस्सेदारी, राजनैतिक भागीदारी, आर्थिक उत्पादन में भागीदारी आदि में महिलाओं की स्थिति से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हुई है। विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। फिर भी परिवार और समाज में उन्हें आज तक स्थान नहीं मिल सका जिसकी वह वास्तविक हकदार हैं। आज भी बराबरी के इंतजार में है। आधी आबादी वह केवल घर परिवार भी जिम्मदारी निभाने वाली मां, बहन, की भूमिका में ही देखी जाती है। केवल आदर्श रूप में ही में ही उसकी कल्पना है उसे किसी भी भूमिका में देखना बहुत बडी चुनौती है उसके विकास के अवसर अभी बहुत दूर है। जेण्डर भेदभाव हर क्षेत्र में दिखता है। जेण्डर का संबंध उन भूमिकाओं या कार्यों से है जो समाज में स्त्रियों और पुरूषों को अलग अलग बांटती है।

लिंग असमानता के कारण

प्रत्येक समाज में लिंग असमानता किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भौतिक दृष्टि से भी देखें तो स्त्री और पुरूष में असमानता है। स्त्री मानसिक और शारिरिक रूप से कमजोर होती है। पुरूष जहां एक और कठिन परिश्रम करके आर्थिक आय का साधन होता है। वहीं स्त्री घर में रहकर बच्चे पालने, खाना बनाने, और परिवार के लोगों की सेवा में व्यस्त रहती है। प्राचीन समय से ही स्त्री-पुरूष ने अपने स्वभाव के अनुसार कार्यों का बंटवारा कर लिया था। तब स्त्री-पुरूष असमानता की बात नहीं थी। साधन, जनसंख्या और परिवार सीमित थे। अतिक्रमण और पाप का बोध स्पष्ट होने से स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्री को वो सभी अधिकार प्राप्त थे जो एक सामान्य पुरूष को प्राप्त होते है। स्त्री में उर्वरा शक्ति थी इसलिए उसका आदर सत्कार देवों के समान होता था और वह सदैव पूज्यनीय रही ळें

प्रकृति अपने आप को बदलने का गुण रखती है। बहुत समय तक अन्याय सहन नहीं किया जा सकता है। स्त्रियों के ऊपर भी अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते रहे है। अतः स्त्रियों में घर से बाहर निकलकर आर्थिक आय का साधन बनकर अपने में बदलाव किया है। आज लड़ाई स्त्री-पुरूष समानता की नहीं है। आज लड़ाई वर्चस्व की है। स्त्रियों ने पुरूष के उन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाया है जो पहले केवल पुरूषों के लिए ही माने जाते थे। शिक्षा, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, आदि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों ने पुरूषों की बराबरी की है। आज शिक्षित स्त्रियां कामकाज में संलग्न हो रहीं है। महिलाओं में आय के साधन का गुण विकसित हो रहा है। महिलायें पहले से ज्यादा की संख्या में शिक्षित हो रही है और नौकरी कर रही है। वह उद्यमी बन सफल व्यवसायी भी बन रही है।

असहयोग की भावना रखने लगता है। स्त्रियां, पुरूषों के अंश को अपने कोख में रखकर पालती है उसे एक जीवन देती है, वही पुरूष नारी के सम्मान के लिए एक कदम भी नहीं बढा पाता है। कभी-कभी तो पुरूष अपने अंश को पहचानने से ही इंकार कर देता है, यह स्त्रियों के लिए काफी असम्मान जनक घटना है। स्त्रियाँ जिन पुरूषों को जन्म देती है उसी से प्रताड़ित होती है।

"इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदिकाल से ही परिवार का गृहस्वामित्व आयु की दृष्टि से श्रेष्ठ पुरूष सदस्य के हाथ में रहता आया है। उसने स्त्री को हमेशा परावलम्बी बनाए रखा। कानूनी ने भी स्त्री को पुरूष से नीचे के स्तर पर रखा। स्त्री को 'अन्या' कहा गया। वह पुरूष वर्ग से भिन्न एवं निम्न प्राणी की कोटि में रखी गई इस व्यवस्था से पुरूषों को न केवल आर्थिक विशेषाधिकार मिले, बल्कि उसके मिथ्या दार्शनिक और नैतिक विचारों की भी पुष्टि हुई।" [1]

जगत में दो ही विचारशील प्राणी है। स्त्री व पुरूष। पुरूष ने आदि काल से ही स्त्रियों पर शासन किया है, उस पर अपना उपनिवेशवाद कब्जा कर रखा है। पुरूष न तो प्राचीन समय में उसे स्वतंत्र करना चाहता था न ही वर्तमान में उसे स्वतंत्र करना चाहता है। पुरूष वर्ग ने कभी स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी और दी भी तो अपने अधीन रहकर। शादी करके स्त्री को अपने घर लाता है, साथ है, साथ में दहेज भी प्राप्त करता है। और घर में अवैतनिक घरेलू नौकरानी की कमी को पूरा करता हैं तथा इस कार्य को सामाजिक-धार्मिक कार्यों की पूर्ति कहता है। एवं स्त्री को एक नये बंधन में बांध लेता है, जैसे विजेता अपने दास का। प्रत्येक युद्ध में विजेता राजा पराजित प्रजा के लोगो को अपना गुलाम बना लेते थे। राजा की सेना हारने वालों लोगों के साथ मनचाहा अत्याचार करते थे। राजा प्रायः रानियों को अपने कब्जे में कर लेते थे। यही प्रथा आगे चलकर शादी ब्याह में बदल गई। दूल्हे के साथ अनेक बराती आते है और जो चाहे मांगते है अंत में वर शादी करके वधु को अपने साथ ले जाता है। वधु को एक घर की दासता से युक्ति मिलती है कि यह प्रथा नारी के पक्ष में नहीं है, फिर भी निरन्तर जारी है।

स्त्री के सम्बंध में अनेकों किदवंतिया शास्त्रों, लेखों, पत्र-पत्रिकाओं में देखने व पढने को मिलती है, किन्तु ऐसा सही नही है, वह भी एक सहज प्राणी है, न कि परलौकिक परिकथा। स्त्री विषय पर काफी कुछ लिखा गया है हमारे समाज में, और विदेशी उपन्यासों में भी इन उपन्यासों ने स्त्री चरित्व को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने स्त्री की परिभाषा यह कहकर दी कि "औरत कुछ गुणवक्ताओं की कमियों के कारण ही औरत बनती

www.ignited.in

है। हमें स्त्रियों के स्वभाव से यह समझना चाहिए कि प्राकृतिक रूप में उसमें कुछ कमियां है। वह एक प्रांसगिक जीव है। वह आदम की एक अतिरिक्त हड्डी से निर्मित है। अतः मानवता का स्वरूप पुरूष है और पुरूष औरत को औरत के लिए परिभाषित नहीं करता, बल्कि पुरूष से ही सम्बन्धित ही परिभाषित करता है। अरस्तू कहते है कि "औरत पदार्थ है, जबकि पुरूष गति है।"[1] वह औरत को स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं मानता। यहां तक कहा जाता है कि औरत अपने बारे में नहीं सोच सकती और वही बन सकती है जैसा पुरूष उसको आदेश देगा। इसका अर्थ है वह अनिवार्यतः पुरूष के लिए भोग की एक वस्तु है और इसके अलावा कुछ भी नहीं वह पुरूष के संदर्भ में ही परिभाषित और विभेदित की जाती है।

वह आनुशंगिक है, अनिवार्य के बदले नैमित्तिक है, गौण है। पुरूष आत्म है, विषयी है। वह पूर्ण है, जबकि औरत बस 'अन्या' है। प्राचीन ग्रीक सभ्यता ने भी स्त्री को दोयम दर्जे का ही स्थान दिया है। स्त्री अन्नया और पाप का प्रतीक है। धर्म एवं संहिता के रचियता पुरूष थे। अतः स्त्री से विद्वेष रखा गया। कानूनी तौर पर भी स्त्री को अधीनस्थ रखा गया। इजिप्त में समस्त देवी-देवताओं में प्रमुख स्थान सूर्य देवता को प्राप्त था जो रोशनी और तेजस का प्रतीक है। रोम में जुपिटर के बराबर कोई देवता नहीं थे। प्रायः ग्रीफ देवता पुरूष-प्रधान थे। वैदिक देवताओं की पत्नियां देवी थी।

"मान्यता के प्रारम्भिक दिनों से ही पुरूष ने अपनी जैविक विशिष्टता की वजह से हमेशा स्वयं को सर्वोच्च सत्ता के रूप में रखा और आज तक रखता आया है। उसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व का कुछ हिस्सा ही प्रकृति और स्त्री के लिए आदिम युग में त्यागा था, किन्तु कृषि युग के बाद उसने वापस अपनी सम्पूर्णता हासिल कर ली। औरत बाध्य हुई अन्या की भूमिका निभाने के लिए। कभी वह गुलाम रही, कभी देवी बनी, किन्तु अपने मानव स्वरूप का चुनाव वह कभी नहीं कर सकी। फ्रेजर ने कहा था, "पुरूष देवता बनाता है, औरत उसकी पूजा करती है।" यह पुरूष ही था, जो निर्णय लेता था कि ईश्वर का चेहरा पुरूष का होगा या नारी का।"[1] अरब सभ्यता में तो स्त्रियों की स्थिति अत्यंत घिनोंनी रही है। अरब के लोगों में एक रिवाज था कि लड़की को जन्मते ही गड्डे में फेंक दिया जाता था। अरब समाज में जितना अत्याचार महिलाओं पर किया जाता था शायद ही किसी समाज में किया जाता होगा।

लिंगीय असमानता भौतिक दृष्टि के साथ-साथ मानसिक सोच से भी परिलक्षित होती है। प्राचीन साहित्य से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के लिए धर्म का पालन करना सबसे बड़ा पुरूषार्थ है और धर्मपालन के लिए पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है। जब प्राचीन समय में स्त्री-और पुरूष में भेद नहीं था दोनों के अधिकार समान समय थे तो धर्म साहित्य में पुत्र प्राप्ति को अनिवार्य क्यों किया? क्या पुत्री धर्म का पालन नहीं कर सकती? क्या पुत्री पिण्डदान नहीं कर सकती? क्या पुत्री आर्थिक उपार्जन न करके अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकती? पुत्र प्राप्ति की मानसिकता ने ही स्त्री भेदभाव को बढावा दिया है। ऐसा नहीं है, तो आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां स्त्री आगे नहीं बढ रही हो और उसके साथ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव न होता हो? लिंग असमानता के निम्न कारण है-

1. धार्मिक कारण-
2. सामाजिक कारण-
3. आर्थिक कारण-
4. राजनैतिक कारण-
5. अन्य कारण-

1. धार्मिक कारण

प्राचीन काल से हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज का घोतक रहा है, जिसमें कन्या जन्म को अशुभ घटना माना जाता है। उपलब्ध प्रमाण बताते है कि प्राचीन काल में भी भारत में पुत्रियों के जन्म का स्वागत पुत्रों की भाँति नहीं होता था। वैदिक काल में तो पुत्रों के जन्म हेतु मंत्र एवं अनुष्ठान अथर्ववेद में इंगित है। कुछ विचारकों का मत है कि मेधावी एवं शिष्ट पुत्री पुत्र से उत्तम हो सकती है। सुसंस्कृत परिधियों में ऐसी पुत्रियाँ परिवार का गौरव होती थी। वेदों के ज्ञान से स्पष्ट होता है कि भगवान को बलि दी जाती थी। पुत्रियों का विवाह कोई विशेष समस्या नही थी नियोग एवं पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी एवं यह आम घटनाएं थी।

2. हिन्दू धर्म और महिलाएँ-

हिन्दू शब्द की उत्पत्ति सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ हुई है। हिन्दू धर्म नहीं बल्कि एक संस्कति है। हिन्दू-संस्कृति का आविर्भाव आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिश्रण से हुआ था जिसे हम वैदिक-संस्कृति कहते है। वह वैदिक और प्राग्वेदिक संस्कृतियों के मिलन से उत्पन्न हुई। पौराणिक हिन्दू-धर्म निगम और आगय, दोनों पर आधारित माना गया है। परम्परा का वाचक है। अर्थववेद में कहा गया है कि त्रग्वेद, सामवेद, पुराणों के साथ युजुर्वेद तथा ब्रहमदेव से उत्पन्न हुये है। इस प्रकार आर्यों का धर्म ही हिन्दू धर्म है तथा इनके साहित्य में वर्णित बातों को मानने वाला ही हिन्दू है। निःसंदेह वैदिक साहित्य में स्त्रियों को काफी मान-सम्मान प्राप्त था। समय के

www.ignited.in

साथ इस मान-सम्मान में गिराबट आई। विशिष्ट धर्म सुख में पत्नी को किसी भी दशा में त्याज्य नहीं माना गया है। वह यज्ञ के समय पति के बराबर बैठकर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करती थी। पत्नी के कर्कशा अथवा झगड़ालू होने के बाद भी उसे त्यागा नहीं जा सकता था।

(I) **पर्दा प्रथा-** कुछ विद्वानों का मानना है कि मुस्लिम-पूर्व समय में पर्दा प्रथा से लोग अनजान थे। किन्तु कुछ अस्पष्ट साक्ष्यों से पता चलता है कि हिन्दू महिलाऐं, मुसलमानों, के आगमन के पूर्व से ही घूंघट करती थी। ''महाकाव्य (100 ई.पू.) के पदों में पर्दाप्रथा के पहले संकेत का पर्दा था जो कि राष्ट्र की मर्यादा से जुड़ा था। ऐसा महसूस किया गया कि राजघरानों की महिलाओं की बुरी नजरों के दायरे में नहीं आना चाहिए। रामायण में जब सीता अपने पति के साथ वन गमन के लिए राजमार्ग से निकलती हैं तब इस बात पर पश्चाताप किया गया कि जिस स्त्री को आकाशीय आत्माओं ने भी नहीं देखा अब वह सर्वसाधारण की वस्तु बन सार्वजनिक नजरों से भी देखी जायेगी।''[1]

(II) **बाल विवाहः-** विवाह एक सामाजिक संस्था हैं किन्तु बाल-विवाह एक सामाजिक बुराई है। वैदिक काल में विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित थी। 300 ई.पू. बाल विवाह प्रचलन में आया। ईसा के आरम्भ के साथ ही बाल विवाह का प्रचलन आम हो गया। बालिकाओं की शादी की उम्र कमतर होती चली गयी। बाल विवाह से स्त्री शिक्षा का हास हुआ। उपनयन संस्कार जो आर्य समाज में लड़कियों के लिये आवश्यक माना जाता था धीरे-धीरे कम होता गया एवं बाद में एकदम त्याग दिया गया, फलतः उनकी वैदिक शिक्षा का अन्त हो गया। 8 वीं सदी के आरम्भ तक विवाह की उम्र घटकर 9 एवं 10 वर्ष रह गई।

(III) **दासी प्रथा-** भारतीय समाज में दासी-प्रथा का प्रचलन अत्यन्त प्राचीनकाल से ही रहा है। ऋग्वैदिक काल में अनार्यों को ही मुख्यतः दास-दासी कहा गया है। ''ऋग्वेद में ऐसा वर्णित है कि पुरूकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु ने एक ऋषि को पचास दासियां (युवतियां) उपहार स्वरूप भेंट की थी''[1]

(IV) **व्रत अथवा उपवास-** उपवास हिन्दू संस्कृति की प्रमुख विशषता है किन्तु इसमें रोचक तथ्य यह है स्त्री द्वारा सारे उपवास पति, पिता, भाई, व बेटे के दीर्घायु या रक्षा के लिए रखे जाते है। उपवास एक सामाजिक-धार्मिक परम्परा है किन्तु इस परम्परा का निर्वहन सदैव स्त्री ही करती आइ है। कभी भी पुरूष द्वारा स्त्री के लिए उपवास का वृतांत नहीं मिलता है।

(V) **आभूषण-** आभूषण आज भले ही श्रृंगार या सुहाग चिन्ह का प्रतीक हो किन्तु एक समय ये गुलामी का प्रतीक थे। किसी समय के असुर विजेता या राक्षस अपनी जीती हुई शत्रु महिला के होठ, कान छेदकर या हाथों में बेड़ी डालकर ले जाते थे, जिसे किसी दौर में गहनों का नाम दिया था। नथ (नाक का गहना) अरबों की नकेल (नाक की रस्सी) है जिससे वह जानवरों को नियंत्रित करता है। बाद में यही नारी पर पुरूष के अधिकार का घोतक बना। आज औरत इन सब आभूषणों को सुहाग, सम्मान, सुन्दरता, और गर्व के साथ पहनती है जो उनकी गुलामी का प्रतीक है।

(VI) **वंश परम्परा-** सभी समाजों में और धर्मों में वंश चलाने के लिए लड़के का होना आवश्यक है। कई बार लड़के के चक्कर में चार-पांच लड़की पैदा हो जाती है। पहले लड़को की प्राप्ति के लिए कर्मकाण्ड, पूजा, उपवास आदि किये जाने का वर्णन मिलता है। आज 'गर्भजल परीक्षण' द्वारा कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बता कि कुल को आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों की भी उतनी ही आवश्यकता है। आज विज्ञान के युग में भी वंश परम्परा के नाम पर पुत्र की चाहत समाज की नीच मानसिकता का प्रतीक है।

(VII) **पराया धन-** अक्सर कन्या जन्म के पश्चात् उसे यह सुनना पढता है कि लड़की को कितना ही पढ़ा लिखा लो आखिर वह पराया धन है, उसे दूसरे के घर जाना है। लड़की को पराया धन कहने से उसका अपने घर से ही सम्बंध टूटने लगता है। अक्सर लड़कियों को सलाह दी जाती है कि मायके से डोली उठी है और ससुराल से अर्थी उठेगी। इस वाक्य से लड़कियां अपने ससुराल वालों की गुलामी, अत्याचार सहने को बाध्य हो जाती है।

(VIII) **विधवा जीवन-** भारतीय महिलाओं का सबसे दुखांत पहलू विधवा होना है। आज भी विधवा महिला के साथ अव्यवहारिक का वातावरण देखने को मिलता है। विधवाओं का जीवन नरक से भी ज्यादा पीड़ादायी व दुखदायी होता है। यह ऐसी रूढीवादिता है जिसमें महिलाएं घर, सम्पत्ति, खना-पीना, औढना व सार्वजनिक उत्सवों से दूर हो जाती है। कई बार समाज में विधवा महिला को सम्पत्ति हड़पने के लिए उसे

www.ignited.in

डायन, भूतनी, प्रेतनी, आदि बताकर मार डाला जाता है।

(IX) अशिक्षा- भारत में लगभग 80 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित जबकि विकास की महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा है। शिक्षा से जागरूकता आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता आती है। महिलाओं के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाये आगे बढ रही है किन्तु उनके शिक्षा का समुचित प्रबंध न होने से वे अक्सर उच्च शिक्षा से बंचित रह जाती है। एवं वे पराश्रित का जीवन जीने को मजबूर हो जाती है।

(3) आर्थिक कारण-

"संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 'यु.एन.डी.पी.' की मानव विकास रिपोर्ट-1995 में पहली बार मानव विकास सूचकांक में महिला विकास के मानक भी जोड़े गये है। मानव विकास के तीन सूचकों- जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और आय के स्तर में स्त्री की प्रगति के अलावा संसद और विधानमण्डलों तथा फैसला लेने की प्रक्रिया में है। स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का 116 देशों में आंकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में यह बात मजबूती से उभरकर आयी कि आर्थिक विकास और स्त्री पुरूष समानता में वैसा सापेक्ष सम्बन्ध नहीं है जैसा आमतौर पर समझा जाता है। क्यूबा और चीन जैसे देशों में जहां स्त्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में समान अवसर शुलभ है, प्रतिव्यक्ति आय कम होने के बाबजूद स्त्रियों के समग्र विकास की गति संतोषजनक रही है। वास्तव में किसी समाज में स्त्रियों की दशा शक्ति संरचना और प्रभु वर्गों की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है।

(4) राजनैतिक कारण

समाज में अवला, असहाय समझे जाने वाली नारी को आज संवैधानिक रूप से अनेक अधिकार प्रदान किये गये है, जो उसकी सुरक्षा समानता और समाज में भागीदारी को बढाता है। संविधान के अनुच्छेद, 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी की गई है।

भारतीय समाज में प्राचीन नीतिकारों ने स्त्रियों को पिता, या पुत्र अर्थात किसी न किसी पुरूष के संरक्षण में रहने की वकालत कीं पुरूष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियों को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। यहां तक कि तथा कथित लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों वाले पश्चिमी समाज में भी स्त्रियों को लगभग सन् 1920 ई. तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया। वहां व्यक्ति से तात्पर्य सिर्फ पुरूष से था। इग्लेण्ड में व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियाँ सन् 1918 तक इससे वंचित थी। अमेरिका में भी वे सन् 1920 ई. तक वंचित रहीं। विश्व में पहली बार व्यक्ति के अन्तर्गत महिला को शामिल किया गया भारत में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कौर्नेलिया सोराबजी (Cornelia Sorabjee) नामक महिला के वकालत करने सम्बधी आवेदन को एक 'व्यक्ति' के रूप में स्वीकार किया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 'व्यक्ति' की श्रेणी में महिलाओं को लगभग सन् 1929 ई. के आसपास ही स्वीकार किया गया। जहां समाज की आधी आबादी को 'व्यक्ति' का दर्जा ही प्राप्त नहीं हो, वहां उसके साथ 'व्यक्ति' जैसा व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

पुरूष प्रधान समाज में बीसवीं सदी महिलाओं के लिए मिश्रित परिणामों वाली रही। बीसवीं सदी में खासतौर से इसके उत्तराई में एक तरफ जहां महिलाओं को साथ शोषण एवं अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए कई कल्याणकारी कानून भी बनाये गये। न्यायिक निर्णयों की दृष्टि से भी बीसवीं सदी का उत्तराई महिलाओं के लिए काफी सार्थक रहा। वैसे के लिए हितकर कानूनों का प्रादुर्भाव उन्नीसवी सदी में ही हो गया था। जब सन् 1860 में भारतीय दण्ड संहिता का निर्माण हुआ था। लेकिन आगे चलकर देश, काल, और परिस्थितियों के अनुसार न केवल पूर्व कानून में संशोधन हुए, अपितु नये-नये कानूनों का भी उद्भव हुआ। बीसवीं सदी में बने कानूनों का आरम्भ हम भारतीय संविधान से करते है। 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत किये गये भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कई विशेष व्यवस्थाये की गई। अनुच्छेद 15(1) व (2) के अन्तर्गत जहां धर्म, मूलवंश जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिवेधित किया गया है वहीं अनुच्छेद, 15(3) में स्त्रियों के लिए विशेष उपबन्ध किये जाने का प्रावधान किय गया है। स्त्रियों की विशेष स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई।

(5) अन्य कारण-

(अ) महिलाओं को हेय दृष्टि से देखना, समझना, मारना, पिटना, और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना।

(ब) महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है। अक्सर यह देखा जाता है। कि महिलायें ज्यादा जोखिम वाला कार्य करने कसे डरती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण महिलायें कार्यक्षेत्र में पिछड़ जाती है।

www.ignited.in

(स) पुत्र न होने पर महिला या वधु का अपमान करना। दहेज इत्यादि ना लाने पर अपमान करना।

(द) विधवाओं के साथ उपेक्षा का भाव रखना।

(ड़) डायन प्रथा के कारण महिलाओं मार डालना या अपमानित करना।

(ई) सुहाग चिन्हों को अनिवार्य रूप से अपनाया जाना।

उपसंहार

भारतीय समाज आरंभ से ही पुरूष प्रधान समाज रहा है। भारतीय पुरूष प्रधान समाज में हर काल में महिलाओं को समाज में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे बात लालन पालन की है। शिक्षा या स्वास्थ की हो, पोषण न्याय व स्वतंत्रता प्रदान हो, हर बार यह देखा गया है कि फैंसला हमेशा पुरूष के पक्ष में किया जाता है। बालिका को संस्कार व सामाजिक, मान्यताओं की दुहाई देकर प्यार से बहला फुसला दिया जाता है। भारतीय परिवार में बाल्यावस्था से ही लड़के व लड़की में विभेद किया जाता है, उसकी घरेलू भूमिका में भी अन्तर पाया जाता है। लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्यों में सहयोग करे। खाना बनाना, सफाई करना, पानी लाना, परिवार के अन्य व्यक्तियों की सेवा करना उनके कार्य, क्षेत्र गिनवाये जाते है। घर का मुखिया पुरूष होता है महत्वपूर्ण निर्णय लेना एवं घर के बाहरी कार्यों को सम्पन्न करने का जिम्मा उनका होता है। जब उचित शिक्षा प्राप्त कर महिला रोजगार प्राप्त करती है तो जेण्डर विभेद यहां भी दृष्टिगोचर होता है कई कार्यालयों में महिलाओं को क्षमता को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है।

सन्दर्भ सूची

1. As per National sample survey (66th round) 2011.
2. Women and Men in India 2014, 14th Issue Central Statistics office Ministry of Statistics and Programm implementation Govt. of India
3. भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यकीय, एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, द्वारा जारी आंकड़े वर्ष 2011
4. दैनिक भास्कर ग्वालियर, पेज नं.6, दिनांक 04 मार्च 2015 (शीर्षक-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष)
5. राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की वर्ष 2014 की रिपोर्ट।
6. दैनिक भास्कर ग्वालियर पेज नं0 8, दिनांक 05.05.2015 (शीर्षक-बिना वसीयत उत्तराधिकार की स्थिति में हिन्दू महिला बराबर की हकदार, लेखक-नंदिता झा।
7. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी, वर्ष 2010 की वार्षिक रिपोर्ट के अन ुसार।
8. Law and Social Transformation in India, Malik and Raval, Page no. 177, IIIrd Edition, year 2012, Allahabad Law Agency. 59 According to NFHS-III round survey.
9. According to data from the Registrar General of India Quoted in Special bulletin in maternal mortality in India (2010-2011).

Corresponding Author

Nanhi Kumari*

Research Scholar, Department of Home Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

www.ignited.in